

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही**  
**(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)**

पंचायत निगरानी संख्या: 22/2023

**प्रार्थी**

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही, जिला- सिरौही

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, कालन्द्नी, तहसील व जिला- सिरौही
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरौही

**“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”  
उपस्थिति:**

1. श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरौही

-: निर्णय :-

दिनांक 31 दिसम्बर, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कालन्द्नी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरौही के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 29.12.2001 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में क्षेत्रफल 414 वर्गफीट भूमि का आंगनवाडी केन्द्र हेतु निःशुल्क जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 29.12.2001 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही का निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रकरण में दिनांक 18.12.2024 को प्रार्थी की ओर से श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरौही की बहस सुनी गई, जिन्होंने प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्नी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरौही के पक्ष में जो पट्टा विलेख संख्या 12 दिनांक 29.12.2001 को जारी किया गया है, वह ग्राम कालन्द्नी के खसरा संख्या 2024 किस्म गै.मु. तालाब की भूमि में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को आबादी से भिन्न किस्म की भूमि का पट्टा विलेख जारी करने की अधिकारिता नहीं है। ग्राम पंचायत, कालन्द्नी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरौही के पक्ष में जारी पट्टा विलेख की भूमि विभन्न स्तरों पर हुई जांच में इस पट्टे की भूमि गै.मु. तालाब में होना पाया गया है। ग्राम पंचायत, कालन्द्नी द्वारा तालाब की भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कालन्द्नी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरौही के पक्ष में निःशुल्क जारी पट्टा विलेख संख्या 12 दिनांक 29.12.2001 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्नी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरौही के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 414 वर्गफीट भूमि का आंगनवाडी केन्द्र हेतु पट्टा संख्या 12 दिनांक 29.12.2001 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत, कालन्द्नी के

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर  
सिरौही (राज.)



प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 29.12.2001 के अनुसरण में निःशुल्क जारी किया जाना पट्टे पर अंकित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध जांच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरौही के पक्ष में आंगनवाडी केन्द्र हेतु जो पट्टा संख्या 12 दिनांक 29.12.2001 को जारी किया गया है वह ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2024 किस्म गै.मु. तालाब भूमि में जारी किया गया है। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2024 रकबा 4.1300 हेक्टेयर किस्म गै.मु. तालाब भूमि दर्ज है एवं इस खसरा संख्या 2024 के आंशिक भाग पर कुछ कच्चे व पक्के आवासीय मकान व आंगनवाडी केन्द्र आदि बने हुये हैं। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध जांच प्रतिवेदनों के अनुसार ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरौही को आंगनवाडी केन्द्र हेतु ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2024 किस्म गै.मु. तालाब भूमि में पट्टा जारी किया गया है, जबकि तालाब की भूमि में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। तालाब की भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिसका पट्टा कानूनन जारी नहीं किया जा सकता है।

### आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरौही के पक्ष में आंगनवाडी केन्द्र हेतु निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 29.12.2001 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरौही के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 12 दिनांक 29.12.2001 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिरौही